

**बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018
के अन्तर्गत
गवाह सुरक्षा आवेदन**

सक्षम प्राधिकार,
जिला.....के समक्ष,
निम्न के लिए आवेदन:

1. गवाह सुरक्षा
2. गवाह पहचान सुरक्षा
3. नई पहचान
4. गवाह को दूसरी जगह पर बसाना

| | | |
|----|---|--|
| 1. | गवाह का विवरण(स्पष्ट अक्षरों में) 1 नाम 2 आयु 3 लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) 4 पिता/माता का नाम 5 आवास का पता 6 गवाह का नाम और परिवार के अन्य सदस्यों का ब्योरा जिन्हें धमकी मिल रही है या उसका अंदेशा है। 7 संपर्क ब्योरा (मोबाईल/ई-मेल) | |
|----|---|--|

बिहार गजट (असाधारण), 15 जनवरी 2020

| | | |
|----|---|--|
| 2. | आपराधिक मामले का विवरण:- 1. एफआईआर नं० 2. किस धारा क अधीन है 3. थाना 4. जिला 5. थाना दैनिकी संख्या(यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है) 6. आपराधिक वाद संख्या (निजी शिकायत के मामले) | |
| 3. | आरोपी का विवरण(यदि उपलब्ध/ज्ञात है) 1. नाम 2. पता | |
| 4. | धमकी देने वाले/जिस पर धमकी देने का संदेह है उस व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण | |
| 5. | धमकी की प्रकृति-विशिष्ट तारीख, स्थान और प्रयोग किये गये शब्दों के साथ मामले में प्राप्त धमकी का संक्षिप्त ब्योरा। | |
| 6. | गवाह द्वारा/के लिए आवेदित गवाह सुरक्षा उपायों का प्रकार। | |
| 7. | अंतरिम /तात्कालिक गवाह सुरक्षा की आवश्यकता का ब्योरा, यदि आपेक्षित है। | |

आवेदक/गवाह द्वारा अधिक जानकारी देने के लिए अतिरिक्त पन्नों का प्रयोग किया जा सकता है।

.....
आवेदक का हस्ताक्षर सहित पूरा नाम एवं पता

तारीख.....
स्थान.....

बचनबद्धता

1. मैं वचन देता हूँ कि मैं साक्ष्य प्राधिकार और राज्य के गृह विभाग तथा गवाह सुरक्षा कोषांग के साथ पूरा सहयोग करूंगा।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत पायी जाती है तो सक्षम प्राधिकार को योजना के अन्तर्गत गवाह सुरक्षा कोष से मेरे ऊपर किये गये खर्च की वसूली करने का अधिकार होगा।

तारीख
स्थान.....

.....
हस्ताक्षर सहित पूरा नाम

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अजीत कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव